

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 28/2025

ऑनलाईन नम्बर 2025/53

निर्णय दिनांक: 23.06.2025

1. खिराजराम पुत्र शेराराम
2. मालाराम पुत्र शेराराम
3. ठाकरराम पुत्र शेराराम
4. मुनीराम पुत्र धन्नाराम
5. भंवरलाल पुत्र धन्नाराम

जाति जाट निवासीगण गुंसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़
जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थिति:—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 भू-राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1100 तादादी 19.0200 हैक्टेयर (बारानी), खसरा नम्बर 1103 तादादी 1.1000 हैक्टेयर (गै.मु. सड़क), खसरा नम्बर 1104 तादादी 4.2500 हैक्टेयर (बारानी) व खसरा नम्बर 1105 तादादी 2.7400 हैक्टेयर (बारानी) वाकेरोही गुंसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। खेत खसरा नम्बर 1100, 1103, 1104, 1105 मौका पर एकल है व खसरा नम्बर 1103 जो गैरमुमकिन सड़क के रूप में है जो खसरा नम्बर 1084 में से होकर खसरा नम्बर 1100 में प्रवेश करते हुए आगे उत्तरी तरफ के खेत खसरा नम्बर 1101 में प्रवेश करती है। उक्त सड़क भूमि के खसरा नम्बर 1103 प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1100 में पूर्वी तरफ कुछ आंशिक गोलाईनुमा आकर में होकर गुजरती है परन्तु राजस्व अमला द्वारा बिलकुल ही गलत रूप से इस सड़क के खसरा नम्बर 1103 को खसरा नम्बर 1104 व 1105 में पश्चिमी तरफ एकदम सीधा रास्ता राजस्व अक्स में अंकित कर रखा है जबकि मौका स्थिति के अनुसार उक्त सड़क का खसरा नम्बर 1103 खसरा प्रार्थीगण के खेत नम्बर 1100 के पूर्वी तरफ गोलाई आकार में है तथा सड़क भूमि के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 1100 की भूमि भी शेष रहती है परन्तु राजस्व अमला द्वारा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1100 को सड़क भूमि के खसरा नम्बर 1103 से एकदम पश्चिमी तरफ दर्शा दिया गया है व खसरा नम्बर 1104, 1105 को सड़क से पूर्वी तरफ दर्शाया गया है जो मौका स्थिति के विपरीत है व दुरुस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1100 वाकेरोही गुंसाईसर में से श्रीडूंगरगढ़ से कालू रोड़ गुजरती है। उक्त कालू रोड़ सड़क भूमि के खसरा नम्बर 1103 है जो प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1100 में से दक्षिण से उतर की ओर गुजरती है। उक्त गैरमुमकिन सड़क खसरा नम्बर 1084 से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1100 में से कुछ आंशिक गोलाई आकार में होकर आगे उत्तरी तरफ के चिपते खसरा नम्बर 1101 में प्रवेश करती है। उक्त सड़क

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



भूमि को प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1104 व 1105 के पश्चिमी तरफ गलत दर्शित किया गया है। उक्त सड़क खसरा नम्बर 1104 व 1105 में दर्शित होने से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1104 व 1105 का रकबा पूरा नहीं हो रहा है व सड़क भूमि की वजह से उक्त खसरों का रकबा मौका पर कम भी है। इस प्रकार राजस्व अमला द्वारा खसरा नम्बर 1104 व 1105 के पश्चिमी तरफ गैरमुमकिन सड़क का खसरा नम्बर 1103 दर्शित कर दिया गया है जो मौका स्थिति के अनुसार नहीं है। राजस्व अमला द्वारा राजस्व अक्स में उपरोक्त प्रकार से गलत तरमीम कर दिए जाने से ना तो राजस्व अक्स में अंकन सही हो पाया है व ना ही मौका स्थिति सही हो पाई है। मौका की सही स्थिति हेतु राजस्व अक्स को अलग से तैयार जाकर संलग्न प्रार्थना पत्र किया गया है जिसमें मौका पर गुजरने वाली गैरमुमकिन सड़क को मौका स्थिति के अनुसार दर्शित किया गया है जो इस प्रार्थना पत्र का ही भाग माना व समझा, पढा जावे। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1100 में से उक्त गैरमुमकिन सड़क (खसरा नम्बर 1103) काफी वर्षों से गुजर रही है। पहले राजस्व रिकार्ड ऑन लाईन नहीं था तथा तमाम राजस्व रिकार्ड तहसील कार्यालय की आलेख शाखा व पटवारियों के पास रहते थे इसलिए उक्त गैरमुमकिन सड़क कहां से व कैसे गुजर रही है आमजन को पता नहीं रहता था। अब लगभग राजस्व रिकार्ड को ऑन लाईन कर दिया गया है। ऑन लाईन होने पर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि के खसरों की ऑन लाईन जमाबंदिया व नक्शा आदि की नकले दिनांक 20.02.2025 को निकलवाई तो प्रार्थीगण को उक्त गैरमुमकिन सड़क के खसरा नम्बर 1103 के गलत तरमीम होने की जानकारी हुई। जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने उपरोक्त गैरमुमकिन के खसरा नम्बर 1103 राजस्व अक्स में खसरा नम्बर 1100 में मौकानुसार गोलाई रूप में दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी से निवेदन किया गया तो प्रतिवादी ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में एकबार तरमीम हो जाने के बाद हम इसे दुरुस्त नहीं कर सकते। आपको अदालत से आदेश लाना होगा। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1104, 1105 में से गैरमुमकिन के खसरा नम्बर 1103 का नक्शा मौका स्थिति के अनुसार सही नहीं दर्शाने से प्रार्थीगण के खेतों की स्थिति सही रूप से प्रकट नहीं हो रही है व खसरा नम्बर 1104 व 1105 का रकबा भी पूरा नहीं हो रहा है व गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण को भारी परेशानी हो रही है इसलिए प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि के खेतों में से गुजरने वाले गैरमुमकिन सड़क के खसरा नम्बर 1103 को राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 1100 में से गोलाई आकार में (संलग्न नक्शा के अनुसार) सही रूप से दुरुस्त करने से मौका स्थिति सही हो जावेगी व प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1104 व 1105 का रकबा भी पूरा हो जावेगा। उक्त दुरुस्ती होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। वादगत खेतों की मौका स्थिति सही नहीं होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी व असुविधा हो रही है। प्रार्थीगण वादगत खेतों में से गुजरने वाली कालू श्रीडूंगरगढ़ रोड़ के खसरा नम्बर 1103 को मौका स्थिति के अनुसार दुरुस्त करवाने के कानूनन अधिकारी है जिसके लिए यह राजस्व अक्स दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही ग्राम गुंसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र हर तरह से समयावधि के भीतर व पूर्ण न्याय शुल्क पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

उपखण्ड अधिकारी!
श्रीडूंगरगढ़ (वीकानेर)



क्या गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1100 तादादी 19.0200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1104 तादादी 4.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1105 तादादी 2.7400 हैक्टेयर वाकेरोही गुंसाईसर में से पश्चिमी तरफ से गुजरने वाली कालू श्रीडूंगरगढ रोड़ के खसरा नम्बर 1103 को मौका स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 1100 में आंशिक गोलाईनुमा आकार में दर्शित करते हुए खसरा नम्बर 1100 की कुछ भूमि सड़क के पूर्वी तरफ छोड़ते हुए संलग्न सही नक्शा के अनुसार अंकित किया जाकर दुरुस्ती करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जाकर उसकी अप्रार्थी से करवाई जावे। ताकि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1104 व 1105 का रकबा मौकानुसार सही हो सके व खसरा नम्बर 1100 की मौका स्थिति सही हो सके ।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1100 तादादी 19.0200 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1104 तादादी 4.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1105 तादादी 2.7400 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1103 तादादी 2.10 हैक्टेयर (गै.मु. सडक) वाकेरोही गुंसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम मौका कब्जा के अनुसार की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



(3)
(उम्रा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (नीकानेर)